हेमा बनाम उदा

न.प्र. - 88,92 वि   प्र.स. 92/2013

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	3/3/2021 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित है। दावा वादी खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर सुनाया गया, जो शामिल पत्रावली रहे। पत्रावली हस्बजाब्ता फैसल होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 3/3/2021 को खुली अदालत में सुनाया गया। सहायक कलेक्टर {S.D.O.} बदनोर जिला-भीलवाड़ा	न्यायालय सहायक कलेक्टर (SDO) बदनोर (भीलवाड़ा) राज.

न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.), बदनोर

बईजलास श्री घनश्याम शर्मा (आर.ए.एस.)

प्रकरण सं.– 92/2013

उनवान

1– हेमा पिता गोकल भील निवासी जयसिंहपुरा तहसील बदनोर ।

–वादी

बनाम

1– दुदा पिता हेमा भील मृतक के स्थान पर
1/1 कमला देवी पत्नी दुदा भील निवासी महलों के पीछे बदनोर
1/2 नन्दलाल पिता दुदा भील निवासी महलों के पीछे बदनोर
2– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बदनोर।

–प्रतिवादीगण

उपस्थित :– श्री मुनीरगनी शेख, वकील वादी

वाद पत्र अर्न्तगत धारा 88, 92ए राजस्थान टिनेन्सी एक्ट

–:निर्णय:–

दिनांक– 03.03.2021

1– वादी के द्वारा यह वाद पत्र प्रस्तुत कर अंकित किया गया की गांव जयसिंहपुरा पटवार हल्का परा के साबिक आराजी नम्बर 444/3 रकबा 10 बीघा भूमि खातेदार हेमा पिता बरदा भील निवासी गोवलिया के नाम दर्ज थी। जिसे खातेदार हेमा पिता बरदा भील ने दिनांक 05.12.1990 को बीस हजार रूपये में वादी को जरीये बेचान रजिस्टर्ड से विक्रय कर दी और उक्त आराजी पर वादी का कब्जा करा दिया। वादी ने उक्त आराजी पर बहुत रूपये खर्च कर आराजी को उपजाऊ बनाया तभी से वादी ही उक्त आराजी पर निरन्तर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है।

न्यायालय सहायक कलेक्टर (SDO) बदनोर (भीलवाड़ा) राज.

सहायक कलेक्टर
{S.D.O.}बदनोर
जिला-भीलवाडा

2– वादी ने अपनी उक्त आराजी का इन्तकाल खुलवाने के लिए पटवारी हल्का परा के पास गया और इन्तकाल खोलने का निवेदन किया तब पटवारी ने बताया कि तुम्हारी आराजी का इन्तकाल सेटलमेंन्ट की गलती से प्रतिवादी संख्या 1 के पिता हेमा पुत्र घीसा के नाम खुल चुका है।

3– दौराने सेटलमेन्ट तत्कालीन राजस्व विभाग के कर्मचारीयों ने बिना किसी हक व अधिकार के प्रतिवादी संख्या 1 के पिता को नाजायज रूप से फायदा पहुचाने की नियत से तत्कालीन कानून की सीमा से परे जाकर कानून की मंशा के विपरीत जाकर खातेदार का नाम जमाबंदी से हटाकर बिना कोई रहन, बेचान, बक्षीस, वसीयत आदि के उक्त आराजीयात में प्रतिवादी संख्या 1 के पिता का नाम दर्ज कर दिया जबकि उक्त आराजीयात पर जब से वादी ने आराजी की रजिस्ट्री अपने नाम करवायी तब से वादी काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है।

4– दौराने सेटलमेन्ट राजस्व कर्मचारियों ने उक्त साबिक आराजी के निम्न नवीन नम्बर कायम किये गये थे जो इस प्रकार है– आराजी नम्बर 174 रकबा 0.53, आ0 नं0 175 रकबा 0.55 , आ0नं0 176 रकबा 0.39 , आ0नं0 177 रकबा 0. 73 हैक्टेयर कुल किता–4 रकबा 2.20 हैक्टेयर है जो कि हाल सेटलमेंन्ट में हुयी गलती के परिणामस्वरूप प्रतिवादी संख्या 1 के पिता के नाम दर्ज है। जिसकी मृत्यु हो चुकी है और प्रतिवादी संख्या 1 ही एकमात्र वारिस होने से प्रक्षकार बनाया गया है।

5– वादी को इसकी जानकारी होने पर वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को सहमति से खाता रद्धोबदल करवाने हेतु निवेदन किया परन्तु प्रतिवादी संख्या 1 ने सहमति से खाता रद्धोबदल कराने से मना कर दिया तथा हाल खाते के बल पर प्रतिवादी संख्या 1 उक्त आराजीयात का विरासत से इन्तकाल अपने नाम खुला किसी अन्य व्यक्ति को बेचान करने व खुर्द–बुर्द करने पर आमादा है। जिसका की प्रतिवादी संख्या 1 के पास कोई भी विधिक अधिकार नहीं है।

6– वादी अपने रजिस्ट्रर्ड बेचाननामें एवं अब तक के एडवर्स पजेसन के आधार पर उक्त हाल आराजीयात की खातेदारी व काश्तकारी की

न्यायालय सहायक कलेक्टर (S.D.O.) बदनोर (भीलवाड़ा) राज.

सहायक कलेक्टर
{S.D.O.} बदनोर
जिला-भीलवाड़ा

घोषणा कराने तथा स्थाई निषेधाज्ञा पाने के अधिकारी है।

7– अन्त में अंकित किया गया कि बहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की घोषणात्मक डिक्री पारित फरमायी जावें कि वाद पत्र की कलम नम्बर 1 वादी द्वारा रजिस्ट्रर्ड विक्रय पत्र द्वारा खरीद की गयी आराजीयात का इन्तकाल खुलवाया जाकर खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें तथा प्रतिवादी संख्या 2 को पाबंद फरमाया जावें कि ऐसे पारित किसी भी डिक्री या आदेश की पालना रेकार्ड में करें। बहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण के की हर्जा–खर्चा, मुकदमा मय वकिल मेहनताना वादी को प्रतिवादी से दिलाया जावें।

8– प्रस्तुत वाद पत्र बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किये जाने पर प्रतिवादी संख्या 1/1, 1/2 बावजूद सूचना के गैर हाजिर रहने से उनके विरूद्ध दिनांक 03.02.2021 को एक तरफा कार्यवाही किये जाने के आदेश प्रसारित किये गये। प्रतिवादी संख्या 2 के परोकारराज के द्वारा दिनांक 01.05.2019 को जवाब दावा प्रस्तुत किया गया।

9– प्रकरण में वादपत्र व जवाब दावा के आधार पर दिनांक 06.09.2019 को निम्नप्रकार से तनकीयात कायम की गयी–

तनकी नम्बर–1

आया वादी ग्राम जयसिंहपुरा पटवार हल्का परा में साबिक आराजी नम्बर 444/3 रकबा 10 बीघा भूमि खातेदार हेमा पिता बरदा भील से दिनांक 05.12.1990 को बीस हजार रूपये में खरीद कर कब्जा प्राप्त किया।

–वादी

तनकी नम्बर–2

आया हाल सेटलमेन्ट में वादी की खाते की आराजीयात गलत इन्द्राज कर के प्रतिवादी के पिता हेमा पुत्र घीसा भील के नाम गलत दर्ज कर दी और हेमा की मृत्यु होने के बाद दुदा पुत्र हेमा के नाम विरासत से वाद में प्रतिवादी को पक्षकार बनाया गया।

–वादी

तनकी नम्बर–3

आया सरकार के जवाब दावा से वाद चलने योग्य नहीं है।

–प्रतिवादी

न्यायालय सहायक कलेक्टर (SDO) बदनोर (भीलवाड़ा) राज.

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बदनोर
जिला-भीलवाड़ा

तनकी नम्बर–4

अनुतोष ।

10– वादी ने अपने वाद पत्र की ताहीद में पीडब्लू–1 हेमा भील, पीडब्लू–2 विजय लाल फुलवारी के बयान करवाये गये तथा दस्तावेजी साक्ष्य में ईएक्सपी–1 रजिस्ट्रर्ड विक्रय पत्र, ईएक्सपी–1 (ए) फोटोप्रति विक्रय पत्र, ईएक्सपी–2 जमाबंदी सम्वत् 2034–2037, ईएक्सपी–3 जमाबन्दी सम्वत् 2060–2063, ईएक्सपी–4 जमाबन्दी सम्वत् 2056–2059, ईएक्सपी–5 जमाबंदी सम्वत् 2052–2055, ईएक्सपी–6 जमाबंदी सम्वत् 2050–2052, ईएक्सपी–7 मिलान क्षेत्रफल, ईएक्सपी–8 नक्शा ट्रेस को प्रदर्श करवाया गया। अन्य कोई गवाह अथवा दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं करना चाहने से साक्ष्य वादी स्टेज बंद की गयी।

प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से कोई साक्ष्य सबूत पेश नहीं किये गये।

11– तत्पश्चात वकीलवादी की एक तरफा बहस सुनी गयी। वक्त बहस वकील वादी का कथन था कि आराजी मुतदाविया हेमा पुत्र बरदा भील के नाम दर्ज रेकार्ड थी। वादग्रस्त आराजीयात को वादी ने रजिस्ट्रर्ड विक्रय पत्र दिनांक 05.12.1990 से बीस हजार रूपये में क्रय कर कब्जा प्राप्त किया है तभी से वादी वादग्रस्त भूमि पर काबिज काश्त चला आ रहा है। दौराने सेटलमेन्ट राजस्व विभाग के कर्मचारियों ने बिना किसी हक व अधिकार के प्रतिवादी संख्या 1 के पिता को नाजायज फायदा पहुंचाने की गरज से तथा कानून की मंशा के विपरित जाकर वादी के द्वारा खरीद की गयी आराजी को प्रतिवादी संख्या 1 के पिता के नाम दर्ज कर दी, जिसे वादी अपने नाम दर्ज करवाने का अधिकारी है। वकील वादी ने यह भी कथन किया कि प्रतिवादी संख्या 1 के पिता की मृत्यु हो चुकी है और प्रतिवादी संख्या 1 ही एकमात्र वारिस है। अन्त में कथन किया कि दावा वादी स्वीकार फरमाया जाकर वादग्रस्त आराजी के लिए वादी को खातेदार घोषित फरमाया जावें।

न्यायालय सहायक कलेक्टर (SDO) बदनोर (भीलवाड़ा) राज.

सहायक कलेक्टर
{S.D.O.} बदनोर
जिला-भीलवाडा

12– मैंने वकील वादी की बहस को सुना, बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया। तनकीवार विवेचन निम्नप्रकार से रहा है।

13– तनकी नम्बर–1 व 2

इन दोनों तनकीयों को सिद्ध कराने का भार वादी पर होने तथा यह दोनो तनकियां एक–दुसरे से संबंधित होने से इनका विवेचन एक साथ किया जा रहा है।

इन तनकियों के समर्थन में वादी के द्वारा ईएक्सपी–1 से ईएक्सपी–7 तक को प्रदर्श करवाया गया। वादी के द्वारा प्रस्तुत ईएक्सपी–2 जमाबंदी सम्वत् 2034–2037 मौजा जयसिंहपुरा पटवार हल्का परा तहसील आसीन्द के अनुसार वादग्रस्त आराजी नम्बर 444/3 रकबा 10 बीघा भूमि हेमा पुत्र बरदा भील साकिन गोवलिया के नाम दर्ज रेकार्ड होना प्रकट आया है। यहां वादी का कथन है कि उनके द्वारा वादग्रस्त आराजीयात को रजिस्ट्रर्ड विक्रय पत्र से खरीद कर कब्जा प्राप्त किया है। अपने कथनो की पुष्टि में उनके द्वारा ईएक्सपी–1 रजिस्ट्रर्ड विक्रय पत्र दिनांक 05.12.1990 को प्रदर्श करवाया गया। जिस अनुसार खातेदार हेमा पुत्र बरदा भील के द्वारा वादग्रस्त आराजी नम्बर 444/3 रकबा 10 बीघा भूमि को बीस हजार रूपये में हेमा पुत्र गोकल भील निवासी जयसिंहपुरा को बेचान किया जाना स्पष्ट हुआ है। वादी के द्वारा प्रस्तुत ईएक्सपी–7 भू–प्रबन्ध (सेटलमेन्ट) विभाग के मिलान क्षेत्रफल के अनुसार वादग्रस्त साबिक आराजी नम्बर 444/3 रकबा 10 बीघा के नवीन नम्बर 174, 175, 176, 177 बनाया जाना प्रकट आया है। सेटलमेन्ट समाप्ति के पश्चात् प्राप्त प्रथम जमाबन्दी सम्वत् 2050–2052 ईएक्सपी–6 मौजा जयसिंहपुरा पटवार हल्का परा तहसील बदनोर के अनुसार नवीन आराजी नम्बर 174, 175, 176, 177 कुल किता–4 रकबा 2.20 हैक्टेयर भूमि हेमा पुत्र घीसा भील साकिन बदनोर के नाम दर्ज रेकार्ड होना प्रकट आया है जो लगातार ईएक्सपी–3 जमाबन्दी सम्वत् 2060–2063 तक हेमा पुत्र घीसा भील साकिन बदनोर के नाम दर्ज चली आ रही है। चुंकि सेटलमेन्ट कार्यवाही पूर्ण होने पर सेटलमेन्ट विभाग के द्वारा कच्ची पानड़ी जारी की जाती है तथा आपत्ति प्राप्त होने पर उसका निस्तारण कर ही पक्की पानडी जारी की जाती है तत्पश्चात ही जमाबन्दी में प्रविस्टीयां की जाती है वादी का नाम जमाबन्दी में नही आने पर उसे सेटलमेन्ट अधिकारी के समक्ष उजरदारी करनी चाहिए थी किन्तु वादी ने ऐसा नहीं कर 24 साल बाद यह दावा प्रस्तुत किया गया है वह भी हेमा पुत्र घीसा के फोत हो जाने के बाद तथा प्रतिवादी संख्या 1

सहायक कलेक्टर
{S.D.O.} बदनोर
जिला-भीलवाडा

दुदा को हेमा पुत्र घीसा का एकमात्र वारिस बताते हुए। अब प्रश्न यह है कि क्या हेमा पुत्र घीसा जीवित है या उसकी मृत्यु हो चुकी है यदि मृत्यु हो गयी है तो क्या प्रतिवादी संख्या 1 दुदा ही एकमात्र उसका वारिस है। पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं हैं जिससे यह माना जा सकें की वादी के द्वारा खरीद की गयी आराजी जो हेमा पुत्र घीसा के नाम दर्ज हुयी तथा खातेदार हेमा पुत्र घीसा की मृत्यु होने से उसका वारिस प्रतिवादी संख्या 1 दुदा ही हो। साथ ही ईएक्सपी–1 रजिस्ट्रर्ड विक्रय पत्र के अनुसार वादग्रस्त भूमि के क्रेता हेमा पुत्र गोकल भील जो जयसिंहपुरा का निवासी है यहां कुछ देर के लिए यह मान भी लिया जावें कि किसी राजस्व कर्मचारी की गलती से नामान्तकरण खोलते समाय हेमा पुत्र गोकल भील की जगह हेमा पुत्र घीसा भील लिख दिया गया हो परन्तु निवास स्थान जयसिंहपुरा के स्थान पर बदनोर गलती से नहीं लिखा जा सकता, जो अपने आप में ही संदिग्ध है। साथ ही वादी स्वयं ने भी अपने ब्यानों की जिरह में यह कथन किया है कि "—— यह बात सही है कि इन्तकाल से खाता हेमा पुत्र घीसा के नाम पर खुल गया——"। यदि वादी उस इन्तकाल को पेश कर देता तो सारी स्थिति स्पष्ट हो जाती कि वादी के हक में किये गये रजिस्ट्रर्ड विक्रय पत्र दिनांक 05.12.1990 के आधार पर नामान्तकरण हेमा पुत्र घीसा भील निवासी बदनोर के नाम निर्णित किया गया या किसी अन्य विक्रय पत्र के आधार से उपरोक्त विवेचानुसार इन दोनों तनकियों का निर्णय वादी के विरूद्ध किया जाता है।

14– <u>तनकी नम्बर–3</u>

इस तनकी को सिद्ध कराने का भार प्रतिवादी संख्या 2 पर है। इस तनकी के समर्थन में प्रतिवादी संख्या 2 के द्वारा किसी प्रकार को कोई साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं कराया गया है। चुंकि वादी के द्वारा यह वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी कानून के तहत प्रस्तुत किया गया है और इस धारा में मियाद की कोई समय सीमा निर्धारित नहीं होने से इस तनकी का निर्णय प्रतिवादी के विरूद्ध किया जाता है।

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बदनोर
जिला-भीलवाड़ा

15– <u>तनकी नम्बर–4</u>

समग्र रूप से हम पाते है कि वादग्रस्त भूमि हेमा पुत्र बरदा भील निवासी

गोवलिया के खातेदारी की थी। खातेदार हेमा पुत्र बरदा ने रजिस्ट्रर्ड विक्रय पत्र दिनांक 05.12.1990 से हेमा पुत्र गोकल भील निवासी जयसिंहपुरा को बेचान की गयी थी। किन्तु बेचान के बाद जो नामान्तकरण खोला गया वह हेमा पुत्र घीसा भील निवासी बदनोर के नाम निर्णित कर दिये जाने से वादग्रस्त भूमि करीब 30 सालों से हेमा पुत्र घीसा भील के नाम ही दर्ज चली आ रही है। पत्रावली में उक्त नामान्तकरण उपलब्ध नहीं होने से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि वादग्रस्त भूमि रजिस्ट्रर्ड विक्रय पत्र दिनांक 05.12.1990 के आधार पर हेमा पुत्र घीसा भील निवासी बदनोर के नाम खोला गया था या किसी अन्य आधार पर वादी यह सिद्ध कराने में असफल रहा है साथ ही इस वाद की सभी महत्वपूर्ण तनकियों का निर्णय वादी के विरूद्ध हो जाने से भी इस वाद का निर्णय हो जाता है लिहाजा दावा वादी खारिज योग्य है।

—::निर्णय::—

दावा वादी खारिज किया जाता है। तदनुसार डिक्री पर्चा मूर्तिब हो। पत्रावली शुमार फैसल होकर दाखिल दफ्तर करें। निर्णय आज दिनांक 03.03.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(घनश्याम शर्मा)
सहायक कलेक्टर
{S.D.O.}बदनोर
जिला-भीलवाडा

APP-Av

मूल वाद में डिक्री

(आदेश–20 के नियम–6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) बदनोर

बइजलास श्री घनश्याम शर्मा (आर.ए.एस.)

वाद संख्या–92 / 2013

1– हेमा पिता गोकल भील निवासी जयसिंहपुरा तहसील बदनोर

–वादी

बनाम

1– दुदा पिता हेमा भील मृतक के स्थान पर कमला देवी पत्नी दुदा भील, नन्दलाल पिता दुदा भील निवासी महलों के पीछे बदनोर

2– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बदनोर।

–प्रतिवादीगण

प्रेषितिः–

वादपत्र अन्तर्गत धारा– 88, 92ए राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के लिए दावा वादी की ओर से श्री मुनीरगनी शेख प्रतिवादी की ओर से XXX की उपस्थिति में इस वाद के आज तारीख 03.03.2021 को अदालत के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है और डिक्री दी जाती है कि दावा वादी खारिज किया जाता है।

और इसके वाद के खर्चे लेखे XXX रू. की राशि आज की तारीख से वसूली की तारीख तक उस पर XXX प्रतिवर्श की दर से ब्याज सहित XXX द्वारा XXX को दी जायें। यह आज तारीख 03.03.2021 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

सहायक कलेक्टर
{न्यायाधीश} बदनोर
जिला-भीलवाड़ा

वादे के खर्चे

वदी	रूपये	पैसे	वादी	रूपये	पैसे
1.वाद पत्र के लिए स्टाम्प	02	00	13. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	01	00
2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	02	00	14. अर्जी के लिए स्टाम्प	00	00
3.प्रदर्शों के लिए स्टाम्प	05	00	15. प्लीडर की फीस	00	00
4. रूपये पर लीडर की फीस	00	00	16. साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	00	00
5.साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	00	00	17. आदेशिका की तामील	00	00
6.कमिश्नर की फीस–तलवाना	03	00	18. कमिश्नर की फीस		00
7. आदेशिका की तामील	00	00			
8. स्टाम्प	00	00			
योग	12	00		01	00